

मध्यप्रदेश शासन  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक/ एफ-3-1/2015/41-2  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/06/2015

1. संभागायुक्त, समस्त  
मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, समस्त  
मध्यप्रदेश।

**विषय:-** आधार परियोजना का प्रदेश में प्रभावशाली एवं सुचारू क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में।

-----

**1. पृष्ठभूमि:-**

सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 1-04/2015/एक(1), भोपाल दिनांक 12 मार्च, 2015 के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी), भोपाल को आधार (UIDAI) परियोजना हेतु नोडल एजेंसी नामांकित किया गया है। माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की दिनांक 06/05/2015 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयानुसार प्रदेश में आधार पंजीयन का शत प्रतिशत कार्य दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के हितग्राहियों को आधार नंबर से जोड़ने की योजना है, अतः आधार पंजीयन का शत प्रतिशत क्रियान्वयन अति आवश्यक है।

**2. प्रदेश में आधार पंजीयन की वर्तमान स्थिति :-**

प्रदेश में दिनांक 31.05.15 तक 67.8% आधार पंजीयन हो चुके हैं। जिसमें से सात जिलों में 80% से अधिक पंजीयन हुआ है। हालाँकि 9 जिलों में आधार पंजीयन 60% से भी कम हुआ है।



प्रदेश में शून्य से पांच वर्ष के बच्चों की अपंजीकृत संख्या लगभग 66 लाख है तथा पांच से अठारह वर्ष की अपंजीकृत संख्या लगभग 1.55 करोड़ है, जिस पर हमें अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त गणना के आधार पर प्रति दिन लगभग 1 लाख 17 हजार आधार पंजीयन करने होंगे | वर्तमान में लगभग 2.47 करोड़ आधार पंजीयन का कार्य शेष है जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ 0-18 आयु वर्ग से है। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(i) प्रदेश में आधार पंजीयन का प्रतिशत :-

आधार पंजीयन का प्रतिशत	जिलो की संख्या	जिले का नाम
80 % से 90 %	07	होशंगाबाद, हरदा, खण्डवा, बुरहानपुर, भोपाल, बालाघाट, सिवनी।
60% से 80%	34	छिन्दवाड़ा, मण्डला, जबलपुर, दमोह, बैतूल, शाजापुर, अजीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, देवास, शहडोल, इन्दौर, अनूपपुर, डिन्डोरी, नरसिंहपुर, नीमच, उमरिया, सतना, उज्जैन, खरगौन, धार, बड़वानी, कटनी, सागर, रीवा, सीहोर, पन्ना, रायसेन, सीधी, छतरपुर, विदिशा, गुना, झाबुआ, सिंगरौली।
60% से कम	09	ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, राजगढ़, श्योपुर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, अशोक नगर।

(ii) प्रदेश में आयु के आधार पर पंजीयन की दिनांक 31.05.2015 की स्थिति:

आयु वर्ग	कुल जनसंख्या	पंजीकृत
शून्य से पांच वर्ष	7471286	916458
पांच से 18 वर्ष	21288632	12571889
18 वर्ष से अधिक	43866891	38643056

*Handwritten signature*

(iii) प्रदेश में वर्तमान में उपलब्ध पंजीयन मशीनों की संख्या :-

शत प्रतिशत आधार पंजीयन हेतु लगभग 3000 मशीनों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में प्रदेश में उपलब्ध 2224 मशीनों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-2 है।

मोड	उपलब्ध मशीनें
स्टेट रजिस्ट्रार	1139
नॉन स्टेट रजिस्ट्रार	1085

3. आधार पंजीयन की प्रबंधन योजना :-

आधार पंजीयन हेतु प्रदेश में जिला स्तर एवं अनुभाग स्तर पर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन कमेटी का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

जिला स्तरीय यूआईडी क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत निम्न पदाधिकारी शामिल होंगे	अनुभाग स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत निम्न पदाधिकारी शामिल होंगे
1. कलेक्टर - अध्यक्ष	1. अनुभागीय अधिकारी(राजस्व) - अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनपद
3. आयुक्त नगर निगम	3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
4. नोडल अधिकारी (आधार)	4. तहसीलदार
5. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद)	6. सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक
7. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	7. परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास (सी.डी.पी.ओ.)
8. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी	8. आधार पंजीयन एजेंसी के प्रतिनिधि
9. जिला शिक्षा अधिकारी	
10. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	
11. जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक	



#### 4. आधार पंजीयन की कार्य योजना :-

जिला प्रशासन की टीम से अपेक्षित है कि वे आधार इनरोलमेंट प्रोजेक्ट का जिले में नेतृत्व करें एवं जिले का Enrollment Plan तैयार कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। Enrollment Agency को सहयोग प्रदान कर, इनरोलमेंट हेतु उचित सार्वजनिक स्थान एवं आधारभूत सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराएं। भीड़ नियंत्रण हेतु स्थानीय टीम को निर्देशित करें व यथासंभव pre-enrollment data उपलब्ध करायें। मुख्यतः निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में कार्य प्रस्तावित है :-

- (i) जिला स्तरीय समिति एवं अनुभाग स्तरीय समिति का गठन करना
- (ii) जिला स्तरीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर एमपीएसईडीसी को अवगत कराना।
- (iii) जिला स्तर पर यूआईडी मीटिंग की अध्यक्षता करना।
- (iv) जिले में आधार पंजीयन हेतु निम्न स्थानों पर कैम्प का प्लान तैयार करना
  - a) विद्यालय
  - b) आंगनबाड़ी
  - c) कॉलेज, पॉलिटैक्रिक, आई टी आई,
  - d) कमजोर नामांकन वाले क्षेत्रों में कैम्प की व्यवस्था करना

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में "प्रारम्भिक योजना बैठक" माह जून में ही कराई जाये।

#### 5. आधार पंजीयन हेतु कैम्प का आयोजन

कमजोर नामांकन वाले क्षेत्रों की पहचान कर जिला एवं अनुविभागीय स्तरीय समितियों के सहयोग से स्कूलों, कॉलेजों, पॉलिटैक्रिक, आईटीआई में 15 जून, 2015 से विशेष कैम्प आयोजित किये जाये। हर एक कैम्प पर नोडल अधिकारी बनाया जाये। कैम्प आयोजन के पूर्व क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

आधार पंजीयन हेतु विकासखण्ड स्तर पर कैम्प नोडल अधिकारी की निगरानी में लगाये जायें। जिला स्तर पर पंजीयन संस्थाओं के साथ अच्छा ताल-मेल हो।

कैम्प के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाये :-

- (i) कैम्प के अंतर्गत कम से कम 40 पंजीयन प्रतिकिट प्रतिदिन के मान से पंजीयन सुनिश्चित करे।

- (ii) कैम्प में "एडवांस सर्च" के लिए अलग से व्यवस्था करें।
- (iii) आधार नंबर का अन्य शासकीय डाटा बेस में सीडिंग हेतु अलग से व्यवस्था करें।
- (iv) कैम्प में आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करें।
- (v) इनरोलमेंट कार्य की समय-सीमा बैठकों में साप्ताहिक समीक्षा करें।

## 6. विविध

- (i) एमपीएसईडीसी द्वारा प्रदेश में विभिन्न जिलों में आधार इनरोलमेंट हेतु इनरोलमेंट एजेंसीज का चयन किया जा चुका है। मार्च में 740 मशीनों द्वारा पंजीयन करने का कार्य किया जा रहा था जिसको बढ़ा कर 2,000 तक कर दिया गया है तथा आगामी माह में इसको 3,000 तक किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिलेवार चयनित/कार्यरत एजेंसियों का विवरण (नाम/संपर्क सूत्र/मोबाईल न. आदि) **परिशिष्ट-3** पर संलग्न है।
- (ii) विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, एमपीएसईडीसी भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप इनरोलमेंट कार्य सम्पादित कराना तथा आवश्यकतानुसार नोडल विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही भी सुनिश्चित करना अपेक्षित है।
- (iii) आधार इनरोलमेंट को गति प्रदान करने के लिए इन सभी इनरोलमेंट एजेंसीज को आवंटित जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- (iv) प्रदेश में इनरोलमेंट का कार्य वर्तमान में विभिन्न नॉन स्टेट रजिस्ट्रार (एन.एस.आर.) जैसे बैंक, एन.एस.डी.एल. आदि एवं कॉमन सर्विस सेंटर्स योजना के तहत स्थापित स्थाई इनरोलमेंट केन्द्रों (permanent Enrollment Centres) के माध्यम से भी किया जा रहा है। जिसका विवरण **परिशिष्ट-4** पर संलग्न है।
- (v) कृपया नियमानुसार इन सभी स्टेट रजिस्ट्रार (एसआर) के साथ साथ एनएसआर संस्था को अपने जिले में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
- (vi) उल्लेखनीय है की आधार पंजीयन नागरिकों के लिए निःशुल्क है अतः सम्बंधित किसी भी संस्था द्वारा आधार पंजीयन हेतु राशि लेने सम्बन्धी सूचना पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

लक्ष्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता होगी। कृपया परियोजना प्रबंधन की समीक्षा कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। केन्द्र सरकार की इस महत्वकांक्षी परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में सभी निवासियों का



आधार इनरोलमेंट प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करें। आधार कार्ड के पंजीयन हेतु प्रारंभिक तौर पर जिला स्तर पर तैयारियों के विस्तृत दिशा-निर्देश विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। अधिक जानकारी हेतु <https://resident.uidai.net.in> देखें। एम.पी.एस.डी.सी. में श्री तरूण कुमार पिथौड़े, (भा.प्र.से.), उसके लिए नोडल अधिकारी हैं, जिनसे e-mail: <pdswan@mpsdc.com> या मोबाईल नं. 99818-87416 पर सम्पर्क किया जा सकता है।



(हरि रंजन राव)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृष्ठांकन क्र. / एफ-3-1/2015/41-2

भोपाल, दिनांक 10/06/2015

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. विकास आयुक्त/आयुक्त, नगरीय प्रशासन/ /लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/ प्रमुख राजस्व आयुक्त/ आयुक्त, महिला एवं बाल विकास/ संचालक रोजगार एवं स्किल डेव्हलपमेन्ट।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, स्टेट आई.टी. सेन्टर, अरेरा हिल्स, भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (मैप-आई.टी.), स्टेट आई.टी. सेन्टर, अरेरा हिल्स, भोपाल।



सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग